इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, के सख्त निर्देश के अनुपालन में आज दिनांक 10/08/2017 को जोनल अधिकारी श्री पी0एन0 यादव के नेतृत्व में जोन संख्या–05 (झूंसी) में इलाहाबाद–वाराणसी मार्ग (जी0टी0रोड) पर अवैध निर्माणकर्ताओं एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही व्यापक रूप से करायी गयी। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1. श्री गौरव यादव द्वारा जी0टी0 रोड पर (होण्डा शो रूम के बगल) 60 भूखण्डों पर स्थित बाउण्ड्रीवाल को पूर्ण रूप से ध्वस्त किया गया (प्लाटिंग भू–भाग का क्षेत्रफल लगभग 20 बीघा)।
2. श्री नान बाबा व अन्य द्वारा जी0टी0रोड पर (रूद्रा अपार्टमेन्ट के बगल) 40 भूखण्डों पर स्थित बाउण्ड्रीवाल एवं उसमें बने एक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया (प्लाटिंग भू–भाग का क्षेत्रफल लगभग 10 बीघा)।
3. श्री अजय यादव, श्री राम लोचन व अन्य द्वारा पटेल नगर रोड पर (महेन्द्र प्रताप सिंह महाविद्यालय के पास) 55 भूखण्डों पर स्थित बाउण्ड्रीवाल को पूर्ण रूप से ध्वस्त किया गया (प्लाटिंग भू–भाग का क्षेत्रफल लगभग 07 बीघा)।
4. श्री राम देव यादव व अन्य व्यक्तियों द्वारा पटेल नगर रोड पर (महेन्द्र प्रताप सिंह महाविद्यालय के पास) 35 भूखण्डों पर स्थित बाउण्ड्रीवाल को पूर्ण रूप से ध्वस्त किया गया। (प्लाटिंग भू–भाग का क्षेत्रफल लगभग 07 बीघा)

उक्त कार्यवाही के दौरान क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार सिंह, श्री दिनेश पाण्डेय भवन निरीक्षक श्री कुँवर आनन्द एवं ए.डी.ए0 प्रवर्तन दल/पुलिस बल व थाना सरायइनायत की पुलिस फोर्स मौजूद रही।

जोन संख्या–01 जोनल अधिकारी श्री सुशील कुमार चौबे के नेतृत्व में 03 चालान, की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या–02 में जोनल अधिकारी श्री जे0आर0मौर्या के नेतृत्व में 03 चालान, 05 नोटिस, निर्गत की गयी।

जोन संख्या–03 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व मे 02 चालान, की कार्यवाही की गयी।

इस प्रकार कुल 08 चालान, 05 नोटिस निर्गत की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

/

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

10.08.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क